न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नवलगढ़ जिला झुन्झुनू

पीठासीन अधिकारी श्री अनूप सिह (आर.ए.एस.)

...न नं. 2019/00481
...नम्बर 205/2019

दर्ज दिनांक–23.10.2019

कृपाल उर्फ राम कृपाल पुत्र बालूराम जाति जाट निवासी डाबडी बलौदा तहसील नवलगढ़

– वादी

बनाम

राजस्थान–सरकार जरिये तहसीलदार नवलगढ़

–प्रतिवादी

वकील वादी :– श्री सज्जन कुमार चाहर, श्री जयपाल सिह
वकील प्रति. :– राज. पैरोकार

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 136 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट

:: निर्णय ::

निर्णय दिनांक 18.03.2021

प्रार्थी ने एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि वाके ग्राम डाबडी बलौदा पटवार हल्का तोगंडाकंला की सरहद मे नई खाता सं. 52 पुराना 47 के अन्तर्गत भूमि खसरा नं. 455 रकबा 4.0700 है0 जिसमे प्रार्थी का 59/407 हिस्सा है परन्तु राजस्व रिकार्ड मे प्रार्थी का नाम कृपाल के स्थान पर राम कृपाल दर्ज कर राजस्व रिकार्ड को दुरूस्त फरमाने का आदेश प्रदान करे।

इत्यादी पर प्रा0 पत्र बाद अवलोकन दर्ज रजिस्टर किया गया तथा अनावेदक की तलबी जारी की गई। बावजूद सम्यक रूप से तामिल अनुपस्थित रहने पर अनावेदक के विरूद्व एक पक्षीय कार्यवाही की गई। प्रकरण मे तहसीलदार नवलगढ़ रिर्पोट प्राप्त की गई जिसके अनुसार ग्राम डाबडी बलौदा मे स्थित भूमि ख.नं. 455 रकबा 4.07 है0 मे कृपाल पुत्र बालू हिस्सा 59/407 जाति जाट सा. देह रिकार्ड दर्ज है। ग्राम मे मौके पर उपस्थित लोगो के अनुसार कृपाल पुत्र बालूराम का शुद्व नाम रामकृपाल पुत्र बालूराम जाति जाट निवासी डाबडी बलौदा है। वादी के द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज आधारकार्ड , राशनकार्ड, बैक पास बुक मे रामकृपाल पुत्र बालूराम दर्ज है। अतः कृपाल पुत्र बालूराम के स्थान पर रामकृपाल पुत्र बालूराम जाति जाट निवासी डाबडी बलौदा की शुद्वि की जानी उचित है।

अतः मुताबिक रिपोर्ट तहसीलदार व संलग्न दस्तावेज अनुसार प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र न्यायोचित होने से स्वीकार किया जाता है।

आदेश

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है तथा निर्देशित किया जाता है कि ग्राम डाबडी बलौदा पटवार हल्का तोगंडाकंला की सरहद मे नई खाता सं. 52 पुराना 47 के अन्तर्गत भूमि खसरा नं. 455 रकबा 4.0700 है0 जिसमे प्रार्थी का 59/407 हिस्सा है। जिसके राजस्व रिकार्ड मे प्रार्थी का नाम कृपाल पुत्र बालूराम के स्थान पर रामकृपाल पुत्र बालूराम जाति जाट दुरूस्त कर दर्ज किया जावे। तहसीलदार नवलगढ को आदेशित किया जाता है कि उक्तानुसार मुताबिक आदेश राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करे। इस आशय की तहसीलदार नवलगढ को तहरीर जारी हो। खर्चा अपना–अपना वहन करेगे। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील कार्यवाही जाप्ता दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 18.03.2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अनूप सिह)
उपखण्ड अधिकारी नवलगढ़
जिला–झुन्झुनू

Scanned by CamScanner